

10/2022

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियत्य जज

05.9.2020 वकील वादीगण अनुपस्थित। पत्रावली का इन्तर्लेखन करते वकालत में उक्त विवाद 18 माह के भी अधिक समय के उपस्थिति की तपस्वी में चला रहा है। वकील वादीगण को परामर्श लेकर सुदान किए जाने के उपरांत कांस्टीबल को तलबी नहीं कराई गई है कोर्ट गत वेस भी अनुपस्थित रहे हैं तथा हरित करार दिया गया, उक्त उपस्थिति का एक हकीम नहीं हुआ है। पिछले न्यायालय काफ़ी में तीन बार कलगा 2 काफ़ी में आवाजे देखाई गई, बावजूद उपस्थित नहीं होने के कारण वादीगण का वाद अक्सर पीछी च आता शक्ति में शक्ति बिना जाता है।

पत्रावली केवल मुगल वकालत वकील
स्फ़र में।


सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा